

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
MADHYA PRADESH. GWALIOR

प्रशा.-12/पेंशन एवं पे फिक्सेशन सेल/

दिनांक:21-02-2025

कार्यालय आदेश/Office Order – 252

कार्यालय आदेश क्र./प्रशा./गो.क./एम.ए.सी.पी./का.आ.02 दिनांक 13-01-2025 के अनुसार निम्नलिखित अधिकारी को परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने के फलस्वरूप उनका वेतन निर्धारण उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि एवं वेतन लेवल में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है-

In accordance with Office Order क्र./प्रशा./गो.क./एम.ए.सी.पी./का.आ.02 दिनांक 13-01-2025, pay of the following officer, who has been granted financial up-gradation under Modified Assured Career Progression Scheme, is fixed as on the date and in the Pay Level, mentioned against her name on the basis of option opted by her as under-

क्र.	नाम पदनाम एवं स्थायी क्रमांक	घटना	दिनांक	वेतन लेवल	वेतन	नियम
1.	श्रीमती सुमिनी शाजी Sumini Shaji व.ले.प.अ. (01/10419)	वार्षिक वेतन वृद्धि	01-01-2024	लेवल-10	₹ 98,400	MACP के पैरा 4 एवं के.सि. सेवा (पु.वे.) नियम, 2016 के नियम 10 एवं 13 सहपठित डीओपीटी के कार्या. ज्ञापन दिनांक 27.07.2017 के पैरा 3 एवं वित्त मंत्रालय के कार्या. ज्ञापन दिनांक 28.11.2019 के पैरा 6 के अनुसार.
		Granted 2nd MACP. Opted pay fixation from the date of grant of MACP	01-01-2025	लेवल-11	₹ 1,05,600	
		अगली वार्षिक वेतन वृद्धि	01-07-2025		₹ 1,08,800	

(उप-महालेखाकार/प्रशासन के आदेश से जारी)

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रशासन-12

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप-निदेशक/लेखापरीक्षा वित्त एवं संचार, एनेक्सी, संचार भवन, बी. एस. एन. एल. कंपाउंड, होशंगाबाद रोड, भोपाल
2. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय प्र.म.ले. (ले. एवं हक.) प्रथम म.प्र. ग्वालियर।
3. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए., को इस आशय के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या 183-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./01.2022 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/03/2015-Estt. (Pay-I) 18/03/2015 दिनांक 03.10.2022 के बिन्दु 5(ii) के अनुपालन में यह वेतन निर्धारण ओदश जारी होने के 03 माह के भीतर यदि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति है तो इस अनुभाग को तत्काल सूचित करें।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को Internet/Intranet/Website संबंधी कार्य हेतु।
6. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12 एवं 14
7. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ./प्रशासन-14 को Internet/Intranet संबंधी कार्य हेतु।
8. श्रीमती सुमिनी शाजी, व.ले.प.अ, 01/10419
9. गार्ड फाइल।

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रशासन-12